फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक – 10.02.2026

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 35/2026 धारा 352/109 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को हत्या के प्रयास में प्रयुक्त एक फावड़ा सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन,कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 35/2026 धारा 352/109 बीएनएस में वांछित अभियुक्त कल्लू पुत्र रामबक्श निवासी ग्राम भोजपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को हत्या के प्रयास में प्रयुक्त एक फावड़ा सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

01. कल्लू पुत्र रामबक्श निवासी ग्राम भोजपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 10.02.2026 को आवेदक श्री शिवराज पुत्र अहिवरन निवासी भोजपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त कल्लू उपरोक्त द्वारा वादी के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की नियत से फावडे से प्रहार करना जिससे वादी की गम्भीर चोटें आयी है। वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 35/2026 धारा 352/109 बीएनएस बनाम कल्लू पुत्र रामबक्श निवासी ग्राम भोजपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़

पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अभियुक्त कल्लू उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त कल्लू उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म का इकबाल करते हुए अपने बयान अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालाय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त कल्लू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 35/2026 धारा 352/109 बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण-

01. एक फावड़ा

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अखिल कुमार
2. हे0का0 रामकुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि0-10.02.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राम प्रकाश शर्मा उर्फ मझले पुत्र स्व0 रामआशरे निवासी दीवान मुबारिक उत्तर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ मु0अ0सं0- 411/2017 वाद संख्या 105/2017 धारा 354 भादवि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***मा0 न्यायालय सपेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 10.02.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 05 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व 20000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

एडीजीसी -श्री प्रदीप कुमार

को0 मो0 हे0 का0 राजेश कुमार

पैरोकार का0 नितिन कुमार

मिशन शक्ति 5.0

थाना कमालगंज

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

कोतवाली फतेहगढ

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना जहानगंज

1090
108
181
महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
102
1076
1098
112

1090
Women Power Line

#MissionShakti

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

कोतवाली कायमगंज

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना अमृतपुर

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना नवाबगंज

1090

#Fatehgarhpolice

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090 181 1076 112 1098 102 108

मिशन शक्ति 5.0

थाना कादरीगेट

मिशन शक्ति 5.0

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

1090 Women Power Line

कोतवाली फर्रूखाबाद

1090 | 181 | 1076 | 112 | 1098 | 102 | 108

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र

मिशन शक्ति 5.0

महिला थाना

Fatehgarhpolice